विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखने में बाल संसद की भूमिका
एक नवाचारी प्रयास

हर्षवर्धन*
सुहासिनी बाजपेयी**

शिक्षा के माध्यम से बच्चों में बाल्यावस्था से ही उनमें निहित सुसुप्त क्षमताओं एवं कौशलों का विकास किया जा रहा है। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों में सामान्यत: पुस्तकीय ज्ञान एवं परीक्षाओं में व्यस्त रखने का ही कार्य कर रही है, जिसके कारण वे प्राय: वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अतः एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का अवसर दे। इसके लिए अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कई नवाचारी शिक्षण-अधिगम विधियों को संचालित किया जा रहा है, जैसे— खेल-खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, खिलौना आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, आईसीटी आधारित शिक्षा, कॉन्सैप्ट मैपिंग, बाल संसद आदि। इस लेख में बाल संसद का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसकी संरचना को बताने का प्रयास किया गया। साथ ही, इस लेख का मुख्य उद्देश्य बाल संसद के माध्यम से विद्यालय संचालन में विद्यार्थियों में विविध क्षमताओं का विकास करना तथा विद्यालय संचालन में उनकी भूमिका को बताना है। इसके अलावा, बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाल संसद विद्यालय संचालन में कैसे सहायक हो सकती है? इन प्रश्नों के आधार पर बाल संसद का वर्णन भी किया गया है।

विद्यालय समाज की वह इकाई है जो विद्यार्थियों के विकास में अभीष्ट भूमिका का निर्वहन करती है। इसलिए विद्यालय का स्वरूप कैसा हो एवं उसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा किस प्रकार की हो? इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। पारिभाषिक रूप में विद्यालय संगठन एक ऐसी संरचना है जिसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी आदि शिक्षा की प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं तथा शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना भी इसमें समाहित है। वहीं विद्यालय संस्कृति का वह केंद्र है जिसमें विद्यार्थियों के भावी जीवन का निर्धारण होता है। विद्यालय एक वृहद् संकल्पना है, जिसमें मानवीय, भौतिक, राजनैतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक आदि संकल्पनाएँ समाहित होती हैं जिसके माध्यम से अध्यापक-विद्यार्थी के संबंध को समग्र रूप से समझा जा सकता है। एक

**शोधार्थी*, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के रूप में उसे यह संज्ञान होना आवश्यक है कि उसके विद्यालय की विवेचना दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर पर की गई हो, जिसमें सभी सहयोगात्मक रूप से कार्यरत हों। लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या विद्यालय संगठन में केवल अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है? क्या विद्यालय के सकुशल संचालन में विद्यार्थी अपनी भूमिका निभा सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, जिनका निवारण प्राथमिक शिक्षा के विस्तारण में उपयोगी होगा।

प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसे आवश्यकता अनुरूप उपागम या अभिकरण अथवा वित्त के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस लेख में केवल प्राथमिक शिक्षा के वित्तीय वर्गीकरण को केंद्र में रखा गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के वित्तीय वर्गीकरण को तीन प्रकारों में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम, पूर्णत: सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, द्वितीय अर्द्ध-सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एवं तृतीय स्व-वित्तपोषित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। जब हम इन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तब हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक विद्यालय एवं स्व-वित्तपोषित प्राथमिक विद्यालयों में कितनी असमानताएँ हैं? जहाँ संभवत: स्व-वित्तपोषित विद्यालय में अध्यापक, पाठयक्रम, विद्यालय संरचना एवं वित्त में नियमितता रहती है। इसके अतिरिक्त अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इन्हीं विद्यालयों का चयन करने में रुचि रखते हैं। वहीं सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो हम पाते हैं कि इन विद्यालयों की छवि कुछ धूमिल होती जा रही है। इसका मुख्य कारण अध्यापकों की कमी, विद्यालय की संरचना में सुधार की कमी, लचर व्यवस्था, अकुशल प्रशासन, नवचारिता एवं पाठ्य-सहगामी गतिविधियों आदि की कमी है (पाल, 2019)।

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों द्वारा प्राथमिक स्तर पर कई नवाचारों का संचालन किया गया है। नवाचार के द्वारा ही कम से कम खर्च में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है एवं अध्यापक-विद्यार्थी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध, विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं शिक्षा को रुचिकर एवं सरल बनाकर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार, जैसे— छात्र-प्रोफाइल, खेल-खेल में शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सरल अंग्रेजी माध्यम, कॉन्सैप्ट मैपिंग एवं बाल संसद आदि। इस लेख का मुख्य उद्देश्य विद्यालय संचालन में विद्यार्थी कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं? बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाल संसद विद्यालय संचालन में कैसे सहायक हो सकती है? आदि प्रश्नों के उत्तर पूर्व में हुए शोध अध्ययनों की साहित्यिक समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर शोधार्थी द्वारा दिए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बिंदु 4.6 के अनुसार, "सभी चरणों में प्रयोग आधारित अधिगम को अपनाया जाए जिससे विद्यार्थी स्वयं करके सीखें

एवं प्रत्येक विषय में कला एवं खेल को एकीकृत किया जाए" जिससे विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी रहे इस उत्सुकता को बनाए रखने के अवसर विद्यार्थियों को बाल संसद से प्राप्त होते हैं— जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने की ओर प्रोत्साहित करता है और यह सीखना केवल पुस्तक के माध्यम से न होकर अनेक गतिविधियों एवं खेल पर आधारित होता है विद्यार्थियों में खोज-आधारित, चर्चा-आधारित एवं विश्लेषण-आधारित अधिगम को विकसित करने के लिए अनुप्रयोग एवं समस्या-समाधान विधि की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बाल संसद के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से की जा सकती है। इस प्रकार बाल संसद की अवधारणा एवं क्रियाकलापों की स्पष्ट झलक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी देखने को मिलती है। अतः वर्तमान समय में लगभग सभी विद्यालयों में बाल संसद की अवधारणा को विस्तारित करने की आवश्यकता है।

बाल संसद का संक्षिप्त विवरण

बाल संसद, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को सिखाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई एक छोटी इकाई है। यह विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक एवं नागरिक कौशल विकसित करने का माध्यम है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें विद्यार्थियों का समूह विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन प्रक्रिया में सहभागिता करता है। इसमें स्थानीय एवं वैश्विक समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने एवं उसका समाधान करने की स्वतंत्रता होती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक प्रणाली के कार्य, बाल अधिकार, मूल अधिकार, निर्णय क्षमता का विकास एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना आदि होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अपने विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यावरण गतिविधियों एवं बहु-सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जैसे— विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है (मसाला और अन्य, 2000)। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2* का लक्ष्य विद्यार्थियों में सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भ में भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप तार्किक समझ व विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना है। अतः इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता, तार्किक व विश्लेषणात्मक चिंतन को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यदि बाल संसद की अवधारणा एवं क्रियाकलाप को देखें तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आपस में विचार-विमर्श कर एक-दूसरे में नागरिकता एवं संवैधानिक साक्षरता जैसे गुणों का विकास करना है। यह पाठ्यपुस्तक भी इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। बाल संसद के उद्देश्य एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन* के उद्देश्य में समानता है। ऐसे में यदि हमें इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से पूर्ण करना है तो इसके एक विकल्प के रूप में हम बाल संसद का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि बाल संसद के माध्यम से इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2008)।

अब हम बाल संसद के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हैं? बाल संसद का उद्भव विभिन्न देशों की लोकतंत्र व राजनीति के अनुरूप हुआ है।

जिसके फलस्वरूप इसमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। परंतु इसका सृजन वर्ष 1990 में जिम्बाब्वे में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बालश्रम, यौन शोषण, भेदभाव, विद्यालय समस्या एवं स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। वहाँ बाल संसद का स्वरूप संसद की भाँति ही होता है। इसमें सर्वप्रथम संसद के कुछ सदस्यों को चुनकर एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का कार्य उन समस्याओं को चिह्नित कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है जो विद्यालय के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बाल संसद इनका समाधान करने के लिए नीतियों का निर्माण करती है। इस समिति के सदस्य विद्यालयों का भ्रमण करते हुए इन विद्यालयों में से ऐसे विद्यार्थियों का चयन करते हैं, जिनमें सम्प्रेषण, आत्म-अभिव्यक्ति एवं वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता आदि हो। इन विद्यार्थियों के चयन के पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को एक विषय प्रदान किया जाता है जो उसका कार्य-क्षेत्र कहलाता है। इन विषयों के साथ विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। समिति इन सभी सूचनाओं पर रिपोर्ट तैयार कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिससे संसद इन सूचनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण कर उनके सार्थक क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। (एल-शामी, 2008)।

बाल संसद की संरचना

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल संसद, भारतीय संसद का ही एक छोटा रूप है, जिसे संसद के स्वरूप के अनुसार ही निर्मित किया जाता है। इसमें भी कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों के पद होते हैं, जैसे—प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्रालय आदि। इन सभी पदों के लिए नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण की जाती है। इन सभी पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थी स्वयं अपना नाम अध्यापकों को देते हैं। अध्यापकों के द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि बाल संसद के विशिष्ट पद, जैसे— प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के ही विद्यार्थियों का चयन हो। चुनावी प्रक्रिया का संपूर्ण कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है तथा अध्यापक इस चुनावी प्रक्रिया का बाह्य रूप से अवलोकन एवं मार्गदर्शन करते हैं। चुनाव में विजयी प्रतिभागियों को शपथ ग्रहण कराई जाती है। बाल संसद के स्वरूप को चित्र 1 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है (*बाल संसद— एक परिचय,* 2016)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 4.28 के अनुसार,

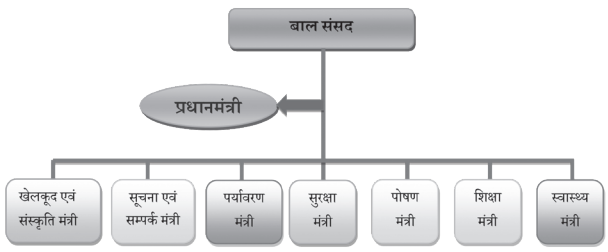

चित्र 1— बाल संसद का स्वरूप
(*बाल संसद— एक परिचय*, 2016)

"भारतीय संविधान के अंश को सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा।" जो यह स्पष्ट करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए अर्थात उन्हें भारतीय संविधान की सामान्य समझ

अवश्य हो। वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा में यदि बाल संसद को विस्तार दिया जाए, तो बाल संसद *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में वर्णित उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

इस प्रश्न पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अपने व्यक्तिगत विचार एवं जीवन के अनुभव होते हैं, जो उनके अभिभावकों एवं समाज के व्यक्तियों के विचारों से भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि परिवारों एवं समाज में किसी भी मुद्दे पर विचार एवं निर्णय अभिभावकों एवं समाज के व्यक्तियों (बड़ों) के द्वारा ही लिए जाते हैं; जो सभी के लिए मान्य होते हैं। इसलिए पारिवारिक या सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेते समय बड़ों द्वारा बच्चों के विचार न ही पूछे जाते हैं और न ही सुने जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बड़ों द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेते समय बच्चों के विचारों को सुना जाए। बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को साझा करने का एक सशक्त माध्यम बाल संसद है। जहाँ बच्चे अपने विचारों एवं अनुभवों को खुलकर प्रेषित कर सकते हैं तथा दूसरे बच्चों के विचारों को सुनकर उस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इससे सभी बच्चों को अपने विचार प्रेषित करने का समान अवसर मिलेगा (पोनेट, 2011)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 2.7 के अनुसार, वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट विद्यार्थियों का न सीखना है। सभी के लिए साक्षरता प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में अध्यापकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। विद्यार्थी जब आपस में अंतर्क्रिया करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। जिसमें बाल संसद सभी विद्यार्थियों को समान रूप से बोलने एवं एक-दूसरे से विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में बाल संसद *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के उद्देश्य को पूरा करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है।

विद्यालय संचालन में बाल संसद

बाल संसद के संगठन के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय संचालन में बाल संसद किस प्रकार सहायक होगी? चुनावी प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जब सभी चुने हुए विद्यार्थी अपने-अपने पदों को ग्रहण कर लेते हैं तो इन सभी का प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री सभी को उनके कार्यों से अवगत कराता है, जैसे— पर्यावरण मंत्रालय का कार्य पेड़-पौधों की देखभाल करना, शिक्षा मंत्रालय का कार्य अध्यापक के कक्षा में अनुपस्थित होने पर कक्षा में सभी विद्यार्थी स्व-अध्ययन करें आदि हैं। प्रधानमंत्री का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह नियमित रूप से इन सभी के कार्यों का अवलोकन कर सप्ताह या माह में एक बार इन सभी का विवरण अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करे। अत: विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बाल संसद की आवश्यकता का वर्णन निम्न रूप से किया जा सकता है—

1. **निर्णय क्षमता**— यह एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। निर्णय

लेते समय व्यक्ति का आंतरिक संवेदनाओं, भावनाओं एवं व्यवहारों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। एक निर्णयकर्ता में यह विशेषता होती है कि निर्णय लेते समय वह बाह्य प्रभावों से विचलित न हो। किसी व्यक्ति में निर्णय लेते समय आत्मविश्वास एवं सकारात्मक भावना होनी आवश्यक है। बाल संसद विद्यार्थियों को ऐसा ही वातावरण प्रदान करती है जिससे वह अपने विचारों को सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकें। इससे विद्यार्थियों में स्वयं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप वे प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे (नूपुर, 2015)।

2. **सम्प्रेषण**— यह एक सामाजिक अंतर्क्रिया है जिसका प्रयोग व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए करता है। बाल संसद प्रत्येक विद्यार्थी को यह अवसर प्रदान करती है कि वह अपने विचार को सभी के समक्ष खुलकर प्रस्तुत कर सके। इससे विद्यार्थियों में कई गुणों का विकास होगा, जैसे— किसी विचार की गहनता को समझने के पश्चात सम्प्रेषित करना, अपने विचारों से दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित करना, स्वयं पर विश्वास करना आदि। सम्प्रेषण में यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि हम किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को आहत किए बिना अपने विचारों को व्यक्त करें। जिस विद्यार्थी या व्यक्ति में अपने विचारों को अन्य विद्यार्थियों या व्यक्तियों के समक्ष सरलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है, उनमें व्यावहारिक कुशलता अधिक हो सकती है एवं वे किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं (डेवरिस, 2004)।

3. **सृजनात्मक चिंतन**— विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्य अध्यापकों पर निर्भर रहता है, जिसमें प्राय: अध्यापक अधिक सक्रिय रहते हैं क्योंकि एक अध्यापक के रूप में सभी विद्यार्थियों तक पहुँचना एक अनिवार्य कौशल है लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा कर पाना एक जटिल कार्य है। इसलिए विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहाँ विद्यार्थी स्वयं को प्रतिबंधित महसूस न करें। बाल संसद विद्यार्थियों का संगठन है। इसका संचालन विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। सभी विद्यार्थी अपने अंदर भिन्न-भिन्न विचारों को सँजोए रखते हैं। अत: उन्हें बाल संसद में प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। बाल संसद विद्यार्थियों को ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जिसमें वे अपनी सृजनात्मकता को सभी के समक्ष सहजता से प्रस्तुत कर सकें (*प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल, 2020*)।

4. **समस्या-समाधान**— सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों का शालात्याग है। इन विद्यार्थियों के विद्यालय न आने के कारणों को जानने का कार्य एवं उसका समाधान विद्यार्थी स्वयं ही कर सकते हैं। क्योंकि जितना एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को गहनता से समझ सकता है उस स्तर तक अध्यापक पहुँचने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वह अध्यापक को उस विद्यार्थी (शालात्यागी विद्यार्थी) के अभिभावकों से मिला सकता है जिससे उसके विद्यालय न आने के कारण को पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके।

5. **सांस्कृतिक गतिविधियाँ**— विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बाल संसद गठित विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विद्यालय केवल स्थान उपलब्ध कराता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना बाल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाल संसद के सदस्यों द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की समय-सारणी तैयार कर ली जाती है तथा सभी सदस्यों को उनके कार्यों से अवगत कराया जाता है। इस प्रक्रिया में वे सभी सदस्य एक प्रणाली की तरह कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में बाल संसद विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने में भी सहायक होती है (*बाल संसद— एक परिचय,* 2016)।
6. **नेतृत्व क्षमता**— बालक के अंत:करण में अनेक क्षमताएँ सुसुप्त अवस्था में होती हैं। बाल संसद विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान करती है कि वह इन सुसुप्त क्षमताओं का विकास स्वयं कर सके। यह मंच विद्यार्थी को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है, जिसमें वह स्वतः क्रिया करने एवं निर्णय लेने में सक्षम हो, जिससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके और वह अपने समूह का नेतृत्व करने में सक्षम बन सकें।
7. **पर्यावरण जागरूकता**— विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सजग करने लिए यह मंच अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को पेड़-पौधों की देखभाल करना, परिसर की घेरा-बंदी करना, कचरे का प्रबंधन करना, विद्यालय में स्वच्छता सुनिश्चित करना एवं सभी को इसके प्रति जागरूक करना, जल को संरक्षित करना, शौचालय की साफ़-सफ़ाई करना आदि कार्य सिखाए जाते हैं। ये सब कार्य कुशल पर्यावरणीय वातावरण का सृजन करने में सहायक होंगे।
8. **सहानुभूति**— विद्यालय में अनेक प्रकार के शैक्षणिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इन क्रियाकलापों में सभी विद्यार्थी आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थी एक-दूसरे की भावनाओं, धारणाओं, परिस्थितियों को समझने एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। यह आपसी सहानुभूतिक भावना ही है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा एक-दूसरे की भावनाओं एवं अनुभूतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित संसद में यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना, मित्रवत संबंधों में विश्वास और घनिष्ठता का विकास किया जा सकता है।
9. **समाज निर्माण**— वर्तमान समय में हमें ऐसे साधन की आवश्यकता है जो विद्यालय एवं समाज के मध्य एक पुल का कार्य कर सके। वास्तव में, बाल संसद एक ऐसा ही साधन है। इस मंच का कार्य विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि यह समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करता है ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्ष

बाल संसद विद्यार्थियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें वे अपने जीवन के विकास एवं कार्यों

की ज़िम्मेदारियों का अनुभव स्वयं कर सकें। इससे विद्यार्थी स्वःअनुशासन एवं स्वःअभिप्रेरित होते हुए मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास विकसित होगा। जब उन्हें समूह का मार्गदर्शन करने का अवसर दिया जाता है तब वह स्वयं के व्यक्तित्व और अपने नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं और जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में हमें स्थानीय एवं वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है, इसलिए बाल संसद विद्यार्थियों को सभ्यता, समाज एवं धार्मिक संरचनाओं को समझने के साथ-साथ उस पर चर्चा करने के अवसर भी प्रदान करती है। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतिभाग करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। यदि वृहद स्तर पर विचार करें तो बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थी शासन की कार्यप्रणाली को सूक्ष्म से वृहद स्तर (जैसे— सर्वप्रथम वह अपने पास-पड़ोस एवं गाँव की प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हुए पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर) तक समझ सकेंगे। यह व्यवस्था उन्हें नई वैश्विक व्यवस्था का अग्रगामी वाहक बनाने में सक्षम बनाएगी। (काला, 2015; दीक्षित, 2018)।

संदर्भ

एल-शामी, यू. के. 2008. *फर्स्ट रिपोर्ट बाइ द चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट ऑन द कंडिशन ऑफ चिल्ड्रेन इन यमन*. (चाइल्ड राइट्स रिसोर्स सेंटर) पृष्ठ संख्या 1–21. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/4742/pdf/4742.pdf

काला, एस. 2015. *लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट*. 20 दिसंबर 2020 को https://www.goodshepherd-asiapacific.org.au/project/92 से पुन: प्राप्त किया गया.

डेवरिस, के. ओ. 2004. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट— द कम्युनिकेशन इनिशिएटिव नेटवर्क*. 20 दिसंबर 2020 को https://www.comminit.com/global/content/childrens-parliament से पुन: प्राप्त किया गया.

दीक्षित, पी. 2018. बाल संसद के रास्ते. *प्राथमिक शिक्षक*. 4 (42), पृष्ठ संख्या 36–41. 20 दिसंबर 2020 को https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/Prathmik_Shikshak_Oct18.pdf से पुन: प्राप्त किया गया.

नूपुर, एस. 2015. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट एंड चिल्ड्रेन्स काउंसिल्स इन वर्ल्ड विजन प्रोग्राम्स*. 1–3. https://www.wvi.org/sites/default/files/Children%E2%80%99s%20Parliaments%20and%20Children%E2%80%99s%20Councils%20in%20WV%20programmes.pdf

पाल, एस. के. 2019. भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन. *जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कोलरी रिसर्चेस इन एलाइड एजुकेशन*. 5(16), पृष्ठ संख्या 237–243. http://ignited.in/I/a/89376

प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल. 2020. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट गिविंग आइडियास ए वॉइस*. 22 जनवरी 2021 को https://www.childrensparliament.org.uk/support/programmes-teachers-schools/ से पुन: प्राप्त किया गया.

मसाला, जी. बी., मुगोची, वाई. पी., गमबीजा, के., सौरोंबे, ओ., गंबरा, जे., वामबे, डी., गोरा, जे. और अंबरीक्क, एल. 2000. *अवर राइट टू बी हर्ड— वॉइस ऑफ द चिल्ड्रेन पार्लियामेंटेरियंस इन जिम्बाब्वे*. ED450022, 1–29.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र— अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 3–6, 18–31. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

———. बुनियादी साक्षारता एवं संख्या-ज्ञान— सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 13–15. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

यूनिसेफ. 2016. *बाल संसद— एक परिचय.* https://sujal-swachhsangraha.gov.in/sites/default/files/Unicef_Bal_sansad_book_0.pdf

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2008. *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. https://ncert.nic.in/textbook.php?hhss3=0-10